न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ 0 टी0 सी0, हरदोई।

सत्र परीक्षण सं0–303/16

सरकार.....बनाम.....रामशंकर उर्फ भैया।

दिनांकः 07.06.16

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी।

पुकार पर अभियुक्त उपस्थित है।

पत्रावली आज अभियुक्त रामशंकर उर्फ भैया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांकत 03.09.16 वास्ते आपत्ति आरोप पर आदेश हेतु नियत है। पूर्व नियत तिथि पर अभियुक्त व अभियोजन पक्ष को सुना जा चुका है।

प्रार्थनापत्र में कथन किया गया है कि अभियुक्त को आरोप पर सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। जिस तारीख पर आरोप विरचित किया गया है। उस तारीख पर कोई अधिवक्ता उसकी ओर नहीं थे। इसलिए धारा 288 दं0 प्र 0 सं0 के अंतर्गत आरोप पर आपत्ति दाखिल करने का अवसर नहीं दिया गया। आरोप गलत बनाया गया है। मौखिक रूप से यह भी कथन किया गया है कि धारा 307 भा0 दं0 सं0 का अपराध प्रार्थी के ऊपर नहीं बनता है, क्योंकि कोई खतरनाक चोट अभियुक्त द्वारा चोटहिल को नहीं पहुंचाई गयी है। मेडिकल रिपोर्ट में चोट नं0–01 साधारण दर्शित की गयी है। विधि व्यवस्था 2010(1) सी0 सी0 एस 0 सी0 231 (एस 0 सी0) सुप्रीम कोर्ट नीलम बहाल बनाम स्टेट आफ उत्तराखण्ड की विधि व्यवस्था में यह अवधारित किया गया है कि यदि जीवन के लिए खतरनाक चोट नहीं है तो धारा 307 भा0 दं0 सं0 के अपराध में अभियुक्त को दण्डित नहीं किया जा सकता है।

पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि दिनांक 25.06.16 को आरोप विरचित किया गया है। आदेशपत्रक के अनुसार अभियुक्त की ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित हैं, का अंकन किया गया है तथा पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अधिवक्ता राकेश कुमार मिश्रा तथा अधिवक्ता रामेश्वर प्रसाद वाजपेयी के वकालतनामा पत्रावली में पूर्व से संलग्न है। इस प्रकार अभियुक्त का यह कथन कि उसको सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया, गलत है। क्योंकि अभियुक्त को पूर्ण सुनवाई का अवसर देने के उपरांत ही आरोप विरचित किया गया है। अभियुक्त की ओर से जो विधि व्यवस्था 2010(1) सी0 सी0 एस 0 सी0 231 (एस 0 सी0) सुप्रीम कोर्ट प्रस्तुत की गयी है, उसका न्यायालय द्वारा पूर्ण रूप से अवलोकन किया गया। उक्त मामले के तथ्य एवं परिस्थितियॉ प्रस्तुत मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों से भिन्न हैं। उक्त मामले में चाकू से चोट पहुंचायी गयी थी तथा मेडिकल रिपोर्ट में चोट की प्रकृति का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया था। प्रस्तुत मामले में फायर आर्म की चोट कारित की गयी है। चिकित्सीय आख्या में चिकित्सक द्वारा चोट सं–01 को फायर आर्म के रूप में प्रदर्शित किया गया है तथा चोट को जेरे निगरारी में भी रखा गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में कथन किया गया है कि दिनांक 03.02.16 को समय करीब 5 बजे सायं मैं व मेरा भाई राजकुमार व पुत्तीलाल अपनी खेती वाड़ी लेकर आपस में बातचीत कर रहे थे तभी मेरे दरवाजे पर ललकारते हुए रामंशकर उर्फ भैया पुत्र सुबेदार आए और कहा साले तुम लोग बहुत बड़े नेता बनते हो और मां बहनों की गंदी–गंदी गाली देने लगा। हम लोगों ने मना किया तो कहने लगा साले जान से मार दूंगा। आज बच नहीं पाओगे और 315 बोर का तमंचा लेकर सामने से फायर कर दिया। गोली सीधा मेरे भाई रामकुमार के बाएं कंधे के नीचे लगी। मेरा भाई फड़फड़ा

कर वही गिर गया। उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित किए गए कथनों के अवलोकन से अभियुक्त का पूर्णतया आशय जान से मारने का प्रकट होता है। भाग्यवश तमंचे का फायर उसके बाएं कंधे पर लग गया जिस कारण वह बच गया। इस प्रकार अभियक्त द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रार्थनापत्र में कोई बल नहीं पाया जाता है। प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त रामशंकर उर्फ भैया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 10 ब निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते जिरह पी0 डब्लू0–01 दिनांक 09.09.16 को पेश हो।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ 0 टी0 सी0,
हरदोई।